हर तरह के मीडिया पर लगाम की तैयारी

मुंबई आतंकी हमले के दौरान न्यूज चैनलों की कवरेज पर उठे सवालों के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशा-निर्देश बनाने की बात तो जोर शोर से उठ रही है, लेकिन सरकार को लगता है कि सिर्फ टीवी के लिए दिशा-निर्देश बनाने से काम नहीं चलेगा उसका मानना है कि अब मीडिया में माध्यमों की भरमार है और सभी को नियम और निर्देशों के दायरे में लाने की जरूरत है।

मीडिया में लोगों और माध्यमों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने मीडिया दिशा-निर्देश तय करने के वास्ते एक कमीशन (आयोग) बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह कमीशन मीडिया के हर माध्यम के लिए मानदंड तय करेगा।

सूचना एवं प्रसारण (राज्य) मंत्री आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में सांसदों की सलाहकार समिति की एक बैठक हुई। इसमें मुंबई आतंकी हमले के बाद मीडिया कवरेज के लिए आचार संहिता की जरूरत पर चर्चा हुई। सरकार को यह भी लग रहा है कि मुंबई हमलों के बाद न्यूज चैनलों के लिए दिशा-निर्देश तय कर देने भर से काम नहीं चलेगा क्योंकि इससे वेबसाइट और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अछूते रह जाएंगे।

सांसद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हननमुल्ला ने बताया कि ऐसे दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है जो सभी माध्यमों पर लागू होते हों। उन्होंने कहा कि जवाहर लाल नेहरू और मोरारजी देसाई के वक्त में दो बार मीडिया आयोग बैठाए गए थे लेकिन उनकी सिफारिशें सिर्फ अखबारों के लिए थीं। उसके बाद से इस मुद्दे पर गंभीर कदम नहीं उठाए गए हैं जबकि टेलीविजन, रेडियो और वेबसाइट के जरिए मीडिया के माध्यमों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है।

भारत में भी छपेगा 'वाल स्ट्रील जर्नल'

अब घरेलू पाठकों को काफी आसानी से कम खर्च में ही विदेशी समाचार पत्र पढ़ने का मौका हासिल हो सकेगा। सरकार ने काफी जद्दोजहद के बाद विदेशी समाचार पत्रों के फैसीमाइल संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है। इन नई व्यवस्था के तहत 'दि वाल स्ट्रीट जर्नल' पहला ऐसा समाचार पत्र होगा जो भारत में प्रकाशित होगा। सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि उसने पहली बार विदेशी समाचार पत्रों के फैसीमाइल संस्करणों के प्रकाशन को हरी झंडी दे दी है। फिलहाल मंत्रालय ने 'दि वाल स्ट्रीट जर्नल' एशिया के प्रकाशन की भी अनुमति दी है। देश में इनका प्रकाशन वाल स्ट्रीट जर्नल इंडिया पब्लिशिंग प्राइवेट करेगा।

यह कंपनी अमेरिकी मीडिया कंपनी डाउ जोंस एण्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। इसके लिए 216 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। वैसे सरकार काफी अरसे से विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के नियमों को उदार बनाती रही है।

श्याम माथुर को सम्मान

राजस्थान पत्रिका के समाचार संपादक श्याम माथुर को 'फिल्म पत्रकारिता के विविध आयाम' किताब के लिए पत्रकारिता और जनसंचार क्षेत्र में 2006 के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कारों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

माथुर के अलावा राजस्थान से जाने-माने क्रिकेट कमेंटेटर मुरली मनोहर मंजुल को उनकी पुस्तक 'आकाशवाणी की अंतरकथा' लिए सम्मानित किया गया सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय की ओर से विभिन्न श्रेणियों में 10 अन्य लोगों को भी उनकी विशिष्ट कृति के लिए सम्मानित किया गया है।

विदेशी पत्रिकाओं के संस्करण को एफडीआई की अनुमति

सरकार ने विदेशी अखबारों और समाचार व ताजा घटनाक्रम संबंधी विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के लिए विदेशी निवेश को अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार की अनुमति इनमें 100 फीसदी, एफडीआई की अनुमति होगी लेकिन शर्त यह है कि संबंधित अखबारों और पत्रिकाओं के मालिक ही विदेशी निवेश कर सकेंगे। इनका प्रकाशन भारतीय कानूनों के मुताबिक ही होगा। मौजूदा समय में विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए 26 फीसदी तक के एफडीआई की अनुमति है।

सोच-समझकर लिखें ब्लॉग में

ब्लॉग पर मनमर्जी की बकवास लिखने, भड़ास, कुंठाएं प्रकट करने और अपुष्ट आरोप लगाने वाले सावधान। यह मानहानि का अपराध हो सकता है जिसके लिए तीन साल की सजा तथा दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में ब्लॉग पर राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने वाले युवक को राहत देने से इनकार कर उसके खिलाफ दायर मानहानि की एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

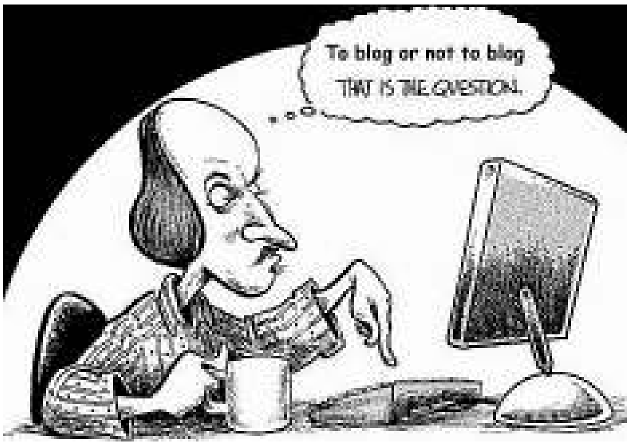

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन और पी. सथाशिवम की खण्डपीठ ने केरल के युवक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में कानून अपना काम करेगा। न्यायालय ने यह तर्क ठुकरा दिया कि ब्लॉग पर लिखे गए शब्द ब्लॉगर्स समुदाय के लिए ही थे, सार्वजनिक नहीं।

इस संबंध में साइबर कानून के विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहते हैं कि ब्लॉग लिखने वालों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। ब्लॉग एक सार्वजनिक स्थल है जिस पर लिखी गई हर बात सार्वजनिक होती है। आईटी एक्ट में इसके दुरुपयोग पर रोक है, इस कानून में ब्लॉगर को 'इंटरमीडियरी सर्विस सोर्स' की श्रेणी में रखा गया है जो साइट पर लिखी हर बात के लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की तरह जिम्मेदार होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ब्लॉग सार्वजनिक स्थल है इसलिए इसमें कही गई कोई बात आपराधिक और सिविल मानहानि का कारण बन सकती है। आपराधिक मामले में मानहानिकर्ता को तीन साल की सजा तथा दो लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।

साहित्यकार पत्रकार सम्मानित

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने साहित्य व पत्रकारिता में विशेष योगदान के साथ नब्बे साहित्यकारों व पत्रकारों को सम्मानित किया।

वरिष्ठ पत्रकार व कवि मंगलेश डबराल को वर्ष 2006-2007 के लिए व दैनिक हिन्दुस्तान के विशेष संवाददाता श्रीकांत को वर्ष 2007-2008 के लिए शिखर पुरस्कार 'राजेन्द्र माथुर पत्रकारिता पुरस्कार' से नवाजा गया। साथ ही साहित्य साधना सम्मान पुरस्कार, वयोवृद्ध साहित्यकार सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान, लोकभाषा साहित्य पुरस्कार, नवोदित साहित्य पुरस्कार भी दिए गए। पुरस्कार पाने वालों में हिन्दी अकादमी, नई दिल्ली के सचिव डॉ. ज्योतिष जोशी, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत डॉ. गंगेश गुंजन, नेशनल बुक ट्रस्ट के हिन्दी संपादक डॉ. कमाल अहमद, संजय कुमार, राजकुमार प्रेमी आदि प्रमुख हैं।

समाचार चैनलों ने खींची लक्ष्मण रेखा

सरकार द्वारा मीडिया पर किसी तरह का नियंत्रण न किए जाने के आश्वासन के बाद समाचार चैनलों ने अपने लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन चैनलों की प्रतिनिधि संस्था एनबीए ने अपने लिए दिशा-निर्देशों में कई मुद्दों को समेटा है। एनबीए अध्यक्ष जस्टिस (अवकाश प्राप्त) जे.एस. वर्मा ने इन प्रमुख दिशा-निर्देशों को अपनी स्वीकृति दी है : (1) अपराध का महिमामंडन न करें; (2) सेक्स या हिंसा से जुड़े अपराधों में पीड़ित महिला या बच्चे के बारे में जानकारी सार्वजनिक न करें; (3) मृत या क्षत विक्षत शवों का क्लोज अप शॉट न दिखाएँ; (4) भूत प्रेत, जादू टोना या अंधविश्वास आदि को बढ़ावा देने वाली खबर न दिखाने की अपील आदि प्रमुख हैं।

प्रस्तुति : **आरती सारंग**